छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ–10–9 / 2002 / 1 / 5 नया रायपुर, दिनांक नवम्बर, 2016

प्रति,

उप संचालक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

विषय :— शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में प्रकाशन हेतु लंबित प्रकरणों के संबंध में।

——00——

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) के प्रावधानों के अनुसार धारा 13, 15, 23–क, 19 के अंतर्गत क्रमशः गठित निवेश क्षेत्रों, वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र, उपांतरण प्रस्ताव एवं विकास योजना में आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित किये जाने की विधिक अनिवार्यता है परन्तु शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव द्वारा उक्त सूचनाओं का समयावधि में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब हो रहा है। संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर से प्राप्त लंबित प्रकरणों की सूची संलग्न है।

2/ अतः आदेशानुसार कृपया संलग्न लंबित प्रकरणों को समयावधि में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर इस विभाग को सूचित करते हुए भविष्य में अधिसूचनाओं का प्रकाशन समयावधि में ही कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :— यथोपरि।

(मेरी खेस्स)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ–10–9 / 2002 / 1 / 5 नया रायपुर, दिनांक 01 दिसम्बर 2016

प्रतिलिपि —

आयुक्त सह संचालक, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नम्बर–4, तीसरी मंजिल, नया रायपुर की ओर उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 53 / स्टेनो / 16, दिनांक 22.11.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।

30/11/2016
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

आवक क्रमांक 1312
दिनांक 23/12/16

15 DEC 2016
SRA(T)